FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0153   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 26/07/2024 17:51 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): शनिवार   Date From (दिनांक से): 04/11/2023   Date To (दिनांक तक): 04/11/2023
      Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 14:00 बजे   Time To (समय तक): 16:30 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 26/07/2024   Time (समय): 16:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002   Date & Time (दिनांक एवं समय) 26/07/2024 17:51:09 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-EAST, 8 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b)Address(पता): POLICE THANA HANUMANGADH TOWN
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DAULTRAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAM LAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1974 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	CHAK 4, ARW A DHANI SEHAJIPURA, HANUMANGADH, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	CHAK 4, ARW A DHANI SEHAJIPURA, HANUMANGADH, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [illegible]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHAGIRATH		पिता:INDRAJ BHUKHAR	1. KUNJI,BHADRA,BHADRA,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,INDI

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात घटना इस प्रकार है कि दिनांक 04.11.2023 को वक्त 02.00 पीएम पर परिवादी श्री दौलतराम पुत्र श्री रामलाल जाति-नायक उम्र-50 वर्ष निवासी चक 4 ARW 'A' (ढाणी) ग्राम पंचायत सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक के नाम संबोधित एक लिखित प्रार्थना पत्र मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया, परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा हस्तलिखित करना व उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने दरियाफत पर बताया कि मैं चक 4 ARW 'A' (ढाणी) ग्राम पंचायत सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ का रहने वाला हूं। हमारी पुश्तैनी जमीन चक 4 ARW 'A' में कुल 17 बीघा 02 बिस्वा नहरी जमीन है, जिसकी श्री कमलदीप सिह ने श्री नरोत्तमलाल के नाम फर्जी रजिस्ट्री करवा दी, फिर श्री नरोत्तम लाल से श्री राजकुमार पुत्र श्री कानाराम जाति खटीक के नाम रजिस्ट्री करवा दी जबकि हमारे द्वारा उक्त जमीन पर राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर से स्टे हमारे पक्ष में प्राप्त किया हुआ है। श्री राजकुमार द्वारा मेरे व मेरे दो भाईयों व मेरे दो बेटों व मेरे दो भाईयों के चार बेटों के विरूद्ध पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में मुकदमा नंबर 428 दिनांक 09.06.2023 दर्ज करवाया जिसकी जांच श्री भागीरथ भूकर ए.एस.आई. के द्वारा की जा रही है, उक्त मुकदमा में मुझे व मेरे दोनो भाईयों को गिरफ्तार किया था अब हम उक्त मुकदमें में जमानत पर है। जब मुझे श्री भागीरथ भूकर ए.एस. आई. ने उपरोक्त मुकदमें में गिरफ्तार कर हवालात में रखा था उस समय श्री भागीरथ भूकर ए.एस.आई. ने मेरे से मुकदमें में नामजद मेरे परिवार के 6 लड़कों में से चार का नाम मुकदमे से निकालने की एवज में मुझसे 10000/-रूपये रिश्वत मांगी थी, फिर मैं जमानत पर बाहर आया जिसके बाद श्री भागीरथ भूकर ए.एस.आई. मेरे घर आकर मुझसे 10000/-रूपये रिष्वत मांग रहा है और रिश्वत नहीं देने पर मेरे परिवार के सभी 6 लड़कों को गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा है, मैं श्री भागीरथ भूकर ए.एस.आई. को हमारे विरूद्ध दर्ज मुकदमें में मेरे परिवार के लड़कों के नाम निकालने की एवज में 10000/-रूपये रिश्वत न देकर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। मेरी व मेरे परिवार के सदस्यों का श्री भागीरथ भूकर ए.एस. आई. से कोई लेन-देन नहीं है और ना ही कोई रंजिश है। कृपया उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व पूछताछ से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। परिवादी का प्रार्थना पत्र मय आधार कार्ड की फोटोप्रति, एफ.आई.आर. नं. 428/23 पु0था0 हनुमानगढ़ टाउन की फोटोप्रति शामिल पत्रावली की गई। समयः- 02.40 पीएम पर परिवादी श्री दौलतराम को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के बारे में पूछने पर उन्होने स्वीकृति प्रदान की, फिर परिवादी श्री दौलतराम व ब्युरो के श्री विनय विशाल कानि0 का आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री दौलतराम को गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर चलाने व बंद करने की विधि की समझाईश की गई। समयः- 03.00 पीएम पर जरिये फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत कर परिवादी श्री दौलतराम व श्री विनय विशाल कानि0 को पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन की तरफ रवाना किया। समयः- 04.30 पीएम परिवादी श्री दौलतराम व श्री विनय विशाल कानि0 गोपनीय सत्यापन में गए हुए ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये व श्री विनय विशाल कानि0 ने बंद डी.वी.आर. मुझे सुपुर्द कर बताया कि मैं व दौलत राम परिवादी ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के पास पहुचें, जहां मैने परिवादी को ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन की तरफ रवाना किया मैं गोपनीय रूप से बाहर ही रूक गया था कुछ समय बाद परिवादी दौलतराम वापिस आया व डी.वी.आर. सुपुर्द किया जिसे मैने बंद किया व परिवादी श्री दौलतराम ने अवगत करवाया की श्री भागीरथ भूकर ए.एस.आई. से रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता हो चुकी है इस पर परिवादी को हमराह लेकर उपस्थित आया हूं। परिवादी श्री दौलतराम ने बताया कि मैं व श्री विनय विशाल जी ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के पास पहुंचे जहां पर श्री विनय विशाल जी ने मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन की तरफ रवाना किया था श्री विनय विशाल जी बाहर ही रूक गये थे। मै थाने में गया तो वहां पर श्री भागीरथ भूकर ए. एस.आई. मिला उसने हमारे मुकदमें के संबंध में वार्ता कर मेरे से सभी 6 लड़कों का मुकदमें से नाम निकालने की एवज में 25000/-रूपये रिश्वत के मांगे व मुझे परसो बुलाया है, मैनें उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था

फिर मैं पुलिस थाने से बाहर आकर श्री विनय विशाल जी से मिला उन्होने मुझसे सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया और उन्हें यह बात बतायी थी फिर वहां से रवाना होकर उपस्थित आये है। इस पर सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो रिश्वत मांग संबंधी तथ्य स्पष्ट पाये गये। परिवादी ने कहा की अब मुझे जरूरी कार्य है मैं परसो रिश्वत राशि 25000/-रूपये की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। आईन्दा उक्त डी.वी.आर. में रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर डी.वी.डी. में डाउनलोड करवायी जायेगी। ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर (डी.वी.आर.) को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 06.11.2023 को समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री दौलतराम ने जरिये दूरभाष अवगत करवाया कि मेरे पास रिश्वत राशि की पूर्ण व्यवस्था नहीं हुई है आज शाम तक रिश्वत राशि की व्यवस्था हो जाएगी इसलिए मैं कल सुबह रिश्वत राशि 25000/-रूपये लेकर आपके कार्यालय में उपस्थित आ जाउंगा। इस पर परिवादी को आवष्यक हिदायत दी गई। समय 05.00 पीएम पर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने पर जरिये तहरीर देकर श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि0 16 को कार्यालय अधीक्षण अभिंयता (वितरण) जोधपुर डिस्कॉम हनुमानगढ़ के लिए रवाना किया गया। समय 06.40 पीएम पर कार्यालय अधीक्षण अभिंयता (वितरण) जोधपुर डिस्कॉम हनुमानगढ़ से श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि0 16 के हमराह श्री अजयसिह वाणिज्यक सहायक प्रथम व श्री सुनील कुमार अति0 प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित आये। जिन्हे दिनांक 07.11.2023 को सुबह 09.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने की आवश्यक हिदायत देकर वापिस रवाना किया। दिनांक 07.11.2023 समय 08.30 एएम पर परिवादी श्री दौलतराम ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व अवगत करवाया कि मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 25000/-रूपये की व्यवस्था कर साथ लाया हूं, इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। समय 09.00 एएम पर कार्यालय अधीक्षण अभिंयता (वितरण) जोधपुर डिस्कॉम हनुमानगढ़ के श्री अजयसिह वाणिज्यक सहायक प्रथम व श्री सुनील कुमार अति0 प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित आये। समय 09.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित श्री अजयसिह वाणिज्यक सहायक प्रथम व श्री सुनील कुमार अति0 प्रशासनिक अधिकारी को मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष बुलवाया जाकर परिवादी श्री दौलतराम से आपसी परिचय करवाया गया व परिवादी श्री दौलतराम के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया जिन्होने स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति देने पर उन्हे कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया। निर्देशन पर परिवादी श्री दौलतराम ने रूबरू गवाहन की मौजूदगी में रिश्वत में दिये जाने वाले 25,000/- रू. भारतीय मुद्रा के नोट मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किये, जिनके नम्बर फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित किया जाकर ब्यूरो के श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि0 16 से मालखाना हाजा में से फिनॉलफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट मंगवाकर निर्देशित कर उक्त प्रस्तुत भारतीय मुद्रा के सभी नोटों पर फिनॉलफथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। उसके बाद गवाह सुनील कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से परिवादी श्री दौलतराम की जामा तलाशी करवाकर उसके पास पहने कपड़ों के अलावा मोबाईल को छोडकर कुछ भी नहीं रहने देकर उक्त पाउडर लगे नम्बरी 25,000 रू. श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि0 से ही परिवादी के पहने कुर्ते की उपरी सामने की बांयी जेब में सावधानी पुर्वक रखवाये एवं निर्देश दिये कि वह आरोपित की मांग से पूर्व सुपुर्द राशि के हाथ नहीं लगाये तथा उनके मांगने पर ही रिश्वत राशि अपनी जेब से निकालकर आरोपित को देवें एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात इत्मीनान से ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ईशारा करें। यदि ईशारा करने का मौका नही मिले तो मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल न. [illegible] पर मिस कॉल/कॉल करे। गवाहन को भी यथा सम्भव मौका पर सम्भावित रिश्वत राशि लेन देन को नजदीक से देखने व आरोपी व परिवादी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने के प्रयास करने का कहा गया। फिर एक पानी भरे पारदर्शी डिस्पोजल के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा फिर उसमे श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. के दोनो हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो घोल गुलाबी हो गया। इस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण बताकर उसकी महत्वता व उपयोगिता एवं परिणाम के बारे में भली भान्ति समझाया गया। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को नाली में फिंकवाकर डिस्पोजल गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर पाउडर लगाने की कार्यत्राही की गयी, को जलाकर नष्ट किया गया तथा बचे हुए फिनॉलफथलीन पाउडर की शीशी को वापस मालखाना में रखवाकर समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथों को साबुन पानी से साफ धुलाया गया। सोडियम कार्बोनेट अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप सामग्री में साथ लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरीकार्ड सहित परिवादी श्री दौलतराम को रिश्वती लेन देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु दिया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.00 एएम पर ट्रेप से पूर्व की कार्यवाही पूर्ण कर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री दौलतराम, स्वतंत्र गवाह श्री अजय सिह, श्री सुनील कुमार, श्रीमती शालू बिश्नोई पुलिस निरीक्षक, श्री हंसराज मुख्य आरक्षक, श्री संदीप मुख्य आरक्षक, श्री विनय विशाल कानि0, श्री वरूण कुमार कानि0, श्री ओमप्रकाश कानि0ड्रा0, श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक को परिवादी व ट्रेप कार्यवाही के तथ्यों से अवगत करवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह स्वतंत्र गवाह श्री अजय सिह, श्री सुनील कुमार, परिवादी श्री दौलतराम, श्रीमती शालू बिश्नोई पुलिस निरीक्षक, श्री हंसराज मुख्य आरक्षक, श्री संदीप मुख्य आरक्षक, श्री विनय विशाल

कानि0, श्री वरूण कुमार कानि0, श्री ओमप्रकाश कानि0ड्रा0, श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक मय लैपटॉप प्रिन्टर, टैर्‌प बाक्स मय दिनांक 04.11.2023 को मांग सत्यापन रिकॉर्ड किया हुआ डी.वी.आर. हमराह लेकर, निजि वाहनों से ब्यूरो कार्यालय से पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन की तरफ रवाना हुए। श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि0 को ब्यूरो कार्यालय में ही आवश्यक हिदायत कर छोड़ा गया। समय 11.20 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के उपरौक्त फिकरा का रवानाशुदा पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के पास पहुंचा, परिवादी श्री दौलतराम को आवश्यक हिदायत देकर आरोपी से संपर्क करने हेतु पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन की तरफ रवाना किया गया, मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के आस-पास गोपनीय रूप से मुकीम हुए। समय 12.10 पीएम पर परिवादी श्री दौलतराम पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन से बिना कोई ईशारा किये बाहर आकर मन् पुलिस निरीक्षक को मिला व डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री दौलतराम ने बताया की मुझे पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में श्री भागीरथ भूकर ए.एस.आई. मिला उससे मैने हमारे मुकदमें के संबंध में वार्ता की तो उसने कहा कि आप अपने लड़कों को लेकर आये हो क्या तब मैने बताया की लड़के किसी काम से बाहर गये हुए है, तब भागीरथ ए.एस.आई. ने मुझे भागीरथ सरपंच से बात करने के लिए कहा इस पर मैने कहा की मेरे पास उसके नंबर नहीं है, जिस पर भागीरथ ए.एस.आई. ने मुझे भागीरथ सरपंच के नंबर बताये जिसके बाद मैने मेरे फोन से भागीरथ सरपंच को फोन किया तो भागीरथ सरपंच द्वारा मेरे मामले के संबंध में पूछा मैने श्री भागीरथ ए.एस.आई. द्वारा छ लड़कों के नान निकालने की एवज में 25000/-रूपये मांगने का बताया जिस पर भागीरथ सरपंच ने मुझे कहा कि मेरे घर आकर 25000/-रूपये मुझे दे जाना। फिर उसके बाद श्री भागीरथ ए.एस.आई. ने मुझे कहा कि तुम्हारे परिवार के सभी 6 लड़कों से सिर्फ पूछताछ करूंगा मुलजिम नहीं बनाउंगा तुम आज शाम तक भागीरथ सरपंच से बात कर लेना और मुझे बता देना और आज शाम या कल सुबह तक लड़कों को पेश कर देना उसके बाद मुझे वहां से भेज दिया। उक्त वार्ता मैने डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की है जिस पर डी.वी.आर. को चलाकर सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई, उक्त रिकॉर्डिंग की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी। इस पर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। उच्चाधिकारियों द्वारा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने के आदेश देने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी सदस्यों मय स्वतंत्र गवाहन व परिवादी के मौके से जरिये प्राईवेट वाहनों से ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुआ। समय 12.50 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ पहुंचा। श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक एंव परिवादी द्वारा हालात निवेदन किये गये। समय 01.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास दिनांक 04.11.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की गई। समय 05.00 पीएम पर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 04.11.2023 को रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए तीन खाली नई डीवीडी मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त वार्ता को तीन डीवीडी में बारी बारी से डाउनलोड किया तथा उनमें वार्ता डाउनलोड होना सुनिश्चित होने पर उन्हे मार्क ए-1, मार्क ए-2, मार्क ए-3 दिया गया, उक्त डी.वी.डी. मार्क ए-1,ए-2 व ए-3 की हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1-4e2bcaf24d31d9c10695ed2c693b58b7ea8bea1c है को तीनों डी.वी.डी. पर अंकित किया गया। इनमें से दो डीवीडी मार्क ए-1 व मार्क ए-2 पर हाजरिन के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त दो डीवीडी को प्लास्टिक लिफाफा कवर में अलग-अलग डालकर उक्त डीवीडी को कवर सहित कपड़े की थैली में अलग-अलग डालकर थैली को सील्ड किया जाकर मार्क ए-1 व मार्क ए-2 अंकित कर हाजरीन के थैली पर हस्ताक्षर करवाये गये व थैलीयों पर हैश वैल्यू अंकित की गई एवं तीसरी डीवीडी मार्क ए-3 को एक प्लास्टिक लिफाफे कवर में डलवाकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 04.11.2023 को रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है की हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1-4e2bcaf24d31d9c10695ed2c693b58b7ea8bea1c है फिर मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाल कर एक सफेद कागज में लपेट कर एक खाली छोटी प्लास्टिक की डिब्बी में डालकर, छोटी प्लॉस्टिक की डिब्बी को कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क A देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। थैली पर हैश वैल्यू अंकित की गई। संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द मुर्तिब की गई। समय 05.30 पीएम पर परिवादी श्री दौलतराम ने बताया कि श्री भागीरथ ए.एस.आई. द्वारा मुझे आज श्री भागीरथ सरपंच से बात करने के लिए कहा गया है, आईन्दा जब भी श्री भागीरथ ए.एस.आई. मेरे से रिश्वत के संबंध में संपर्क करेगा तो मै आपसे संपर्क कर लूंगा इस पर परिवादी को सुपुर्दशुदा रिश्वत राशि 25000/-रूपये श्री हसंराज मुख्य आरक्षक के जरिये प्राप्त कर एक लिफाफे में डालकर श्री हंसराज मुख्य आरक्षक से मालखाना में सुरक्षित रखवायी गई। परिवादी ने कहा की अब मुझे जरूरी कार्य है इसलिए घर जाना जरूरी है इस पर परिवादी श्री दौलतराम को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। समय 05.40 पीएम पर गवाह श्री अजय सिह व श्री सुनील कुमार को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 20.11.2023,21.11.2023, 27.11.2023,28.11.2023, 30.01.2024,18.02.2024, 23.02.2024 को परिवादी से जरिये दूरभाष संपर्क किया गया तो परिवादी द्वारा अवगत करवाया गया कि अभी तक आरोपी द्वारा उससे कोई

जा रही थी, उक्त मुकदमा में परिवादी दौलतराम व उसके दोनो भाईयों को गिरफ्तार किया गया था अब परिवादी दौलतराम व उसके दोनो भाई उक्त मुकदमें में जमानत पर है। जब परिवादी दौलतराम को श्री भागीरथ ए.एस.आई. ने उपरोक्त मुकदमें में गिरफ्तार कर हवालात में रखा था उस समय श्री भागीरथ ए.एस.आई. ने परिवादी दौलतराम से मुकदमें में नामजद उसके परिवार के 6 लड़कों में से चार का नाम मुकदमे से निकालने की एवज में 10000/-रूपये रिश्वत मांगी थी, फिर परिवादी श्री दौलतराम जमानत पर बाहर आया जिसके बाद श्री भागीरथ ए.एस.आई. उसके घर आकर उससे 10000/-रूपये रिश्वत मांग रहा था और रिश्वत नहीं देने पर उसके परिवार के सभी 6 लड़कों को गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा था, परिवादी दौलतराम द्वारा आरोपी श्री भागीरथ ए.एस.आई. के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 04.11.2023 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया तो दौराने सत्यापन आरोपी भागीरथ ए.एस.आई. कहता है कि " ठीक है....... छः टाबरिया है..." परिवादी कहता है "हूं" आरोपी भागीरथ कहता है कि "25 हजार देदे मने.... साफ बोलूं मैं....." परिवादी कहता है "25 हजार" आरोपी भागीरथ कहता है " हां....." परिवादी कहता है " बोला है इता तो...." आरोपी कहता है कि " दस गो तो बो कह गे ही गेयो हो...." परिवादी कहता है " हं....." आरोपी कहता है " दस गो पन्द्रह गो तो बो कह गे ही गेयो हो मनें....." परिवादी कहता है " अच्छा..." आरोपी कहता है कि " कठै ही कोई कोर्ट मैं ही कोनी होवे बोल...."परिवादी कहता है "25 हजार रूप्या तो बोला है साहब..... एक गो ही राखो गा के...." आरोपी कहता है " बिंगो ही कोनी राखूं यार..." परिवादी कहता है " सारां गो ही कोनी राखो...." आरोपी कहता है कि " सारां गो ही कर दयूंगा..... ओ तेरो मेरो धर्म है.... ओ हरयो पेड है.... किंगे ही आगे जिक्र ना करी ... सातवें दिन फाईल मेल दयूंगा.... थारे तीनां गा ही राखूंगा" परिवादी कहता है " पीसा की कम करो साहब.... 25 हजार तो बोला है" आरोपी कहता है " तने कह दियो यार.... जद कह दियो (अस्प्ष्ट) कोर्टां में वकील होवे... ओर होवे....(अस्प्ष्ट) सो भांत..." परिवादी कहता है "चलो बाकी करलयांगा.... देखस्यां कोईनी..." आरोपी कहता है " करलयागा नही, तने तेरे मन गी बात कही है...." परिवादी कहता है " थोडा सा कम ओर कर दयो..... काल न कोई दिक्कत कोनी आवे...." आरोपी कहता है " तेरे मेरे बीच में बात रहनी चाहिए....... तूं कहवे मेरा छोरा नौकरी लागे.... इयां लागे, तेरे खातर मैं रिस्क लेण लागरयो हूं..... आ बात है ... ठीक है" आदि रिश्वत मांगने के तथ्य रिकॉर्ड पाये गये, फिर दिनांक 07.11.2023 को रूबरू गवाहन ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया लेकिन उस दिन आरोपी श्री भागीरथ ए.एस.आई. द्वारा स्वंय रिश्वत प्राप्त न कर श्री भागीरथ सरपंच को देने बाबत कहा। फिर आरोपी श्री भागीरथ ए.एस.आई. व श्री भागीरथ सरपंच ने परिवादी से संपर्क नहीं किया। परिवादी ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि आरोपी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है व रिश्वत राशि वापस देने व आगे कार्यवाही नहीं करने बाबत निवेदन किया जिस पर परिवादी को राशि वापिस लौटायी। इस प्रकार श्री भागीरथ सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूप्योग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण करना एंव परिवादी श्री दौलतराम से उसके परिवार के 6 लड़कों के विरूद्ध मुकदमा में कार्यवाही नहीं करने की एवज में 25000/-रूपये रिश्वत की मांग करना पाया गया। अतः आरोपी श्री भागीरथ पुत्र श्री इन्द्राज भूखर, उम्र-56 वर्ष, निवासी मु0पो0 कूंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन हाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, यातायात हनुमानगढ के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर श्रीमान महानिदेषक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित है। (राजेन्द्र सिह) पुलिस निरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़ ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिंह , निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री भागीरथ पुत्र श्री इन्द्राज भूखर, उम्र-56 वर्ष, निवासी मु0पो0 कूंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक पुलिस,पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन हाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस,यातायात हनुमानगढ़ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री महेश श्रीमाली, पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 139 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 804-07 दिनांक 26.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,श्रीगंगानगर। 2 पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़।
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MAHESH SRIMALI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/07/2024 17:5

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1968				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)